संख्या–वे0आ0–2– 407/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव,
वित्त (सामान्य) अनुभाग–1,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के पंचम प्रतिवेदन में प्रतिनियुक्ति भत्ता के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ता के सम्बन्ध में पंचम प्रतिवेदन में दी गयीं निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :––

समिति राजकीय कर्मचारियों को समय–समय पर अनुमन्य प्रतिनियुक्ति भत्ते की व्यवस्था को देखते हुए यह उचित समझती है कि प्रतिनियुक्ति भत्ते की व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाय। समिति की संस्तुति है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि में वाहय सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती होने की स्थिति में स्थानान्तरित होने वाले सरकारी कर्मचारी को यदि वह उसी स्टेशन पर रहता है जहां उसकी तैनाती थी तो तो वेतन का 05 प्रतिशत अधिकतम रू0 1500/– प्रतिमाह तथा स्टेशन के बाहर वाहय सेवा पर तैनाती होने की स्थिति में मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 3000/– प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य कराया जाय।

दिनांक 01–01–2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना को देखते हुए समिति प्रतिनियुक्ति भत्ते की अनुमन्यता हेतु मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग की अधिकतम सीमा रखे जाने का औचित्य नहीं पाती। अतः इस सम्बन्ध में कोई संस्तुति नहीं की जा रही है।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–407 (1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।